रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. 2018/00224

महोदयजी, प्रार्थी का नाम ग्राम सांगरिया में जमाबन्दी सवत् 2072-75 खाता नं. 314 में तेजा चमार अंकित है, जबकि आधार कार्ड में तेजू बैरवा अंकित है, अतः मुताबिक आधार कार्ड के प्रार्थी का नाम तेजा चमार की बजाय तेजू बैरवा करना उचित है।

24.5.18
(हरिराम माली)
पटवारी, प.म. सांगरिया
तह. फूलियाकलाँ (भीलवाड़ा)

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार फूलियाकलां

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी / जाँच I.O. संशोधन स्वीकार योग्य है।

तहसीलदार
फूलियाकलां, जिला-भीलवाड़ा

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

आदेश कैम्प - सांगरिया दि० 24/05/18

फ्र स० 238/18

हस्ब रिपोर्ट तहसीलदार फुलियाकलां के ग्राम सांगरिया की जमाबंदी सवत् 2072-75 की खाता संख्या 314 में दर्ज तेजा चमार की बजाय तेजू बैरवा दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार फुलिया कला को भेजा जावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलाँ, जिला-भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकलां (भीलवाड़ा) राज.